आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
18/03/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **आपूर्त्ति अपील सं0 19/2012** **प्रभुनाथ सिंह बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 351/आ0 दिनांक 3/3/2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15/11/2011 को जिला स्तरीय जाँच दल के द्वारा अपीलकर्त्ता की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दुकान बंद पाई गई और उसके बाद अपीलकर्त्ता से कारणपृच्छा की गई। तत्पश्चात् प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत निरस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि प्रश्नगत आदेश पूरी तरह विधि के प्रतिकूल है, क्योंकि यह साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण तिथि को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वे अपनी आकस्मिक चिकित्सा कराने छपरा गए थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के निदेश पर उठाव एवं वितरण पंजी समर्पित करते हुए उन्होंने अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों को खंडित किया है। प्रतिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता निरीक्षण तिथि को बीमार नहीं थे, बल्कि निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर भाग गए। जाँच प्रतिवेदन में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी–सह–निरीक्षण पदाधिकारी ने इस आशय का कथन अंकित किया है। दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध मात्र एक आरोप यह है कि निरीक्षण तिथि को उसकी दुकान बंद थी, इसलिए संबंधित पंजियों की जाँच नहीं हो सकी तथा स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया कि अपीलकर्त्ता दुकान बंद कर भाग गए। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दायर स्पष्टीकरण में अपना पक्ष चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के साथ रखा है। साथ ही अनुज्ञापन पदाधिकारी के निदेश के आलोक में भंडार एवं वितरण पंजियाँ समर्पित की है।	

यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता के आरोप नहीं हैं। दुकान बंद रखने के बारे में लगाए गए आरोप के परीक्षण से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि किन लोगों ने यह आरोप लगाया है। इतना स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता ने दुकान के बंद होने का कारण साक्ष्य के साथ रखा है, जिसे बिना किसी विवेचन के अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा असंतोषप्रद कहते हुए अस्वीकृत कर दिया गया है। मेरा यह स्पष्ट अभिमत है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी ने प्रश्नगत आदेश सभी साक्ष्यों के विवेचन किए बगैर पारित किया है, जो विधि-सम्मत् नहीं है। अतः प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

18/3/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

18/3/13

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ______ /विधि, दिनांक ______

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को उनके पत्रांक 653 दिनांक 22-6-2012 द्वारा अभिलेख संख्या 11-62/12 कुल 96 पन्ना मूल में प्राप्त हुआ था को मूल में वापस करते हुए सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- अभिलेख सं०-11-62/2012
श्री प्रभु नाथ सिंह (Sinh)
में संख्या 1 से 96 पन्ना

ह०

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 900 /विधि, दिनांक 2.4.2013

प्रतिलिपि- एन०आई०सी० पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

ह० 01/04/2013

वरीय उपसमाहर्त्ता,
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
30/3/13